(54)

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2010/1801/188-229 दिनांक 24 अप्रैल, 2010

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 13 अप्रैल, 2010 को प्रात: 10.00 बजे श्री नवीन महाजन, संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय स्थित उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट- 1 पर संलग्न है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 9 जून, 2009 एवं दिनांक 3 नवम्बर, 2009 के बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

बैठक में सर्व प्रथम प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 9 जून, 2009 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना की समीक्षा की गयी जो निम्न प्रकार है:-

1- प्रस्ताव संख्या (1) असल सुशांत सिटी के प्रकरण में पूर्व बैठक में पूर्ण तथ्यात्मक विवरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने एवं गलत ले-आऊट प्लान पारित करने के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर व तत्कालीन न्यास के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाये जाने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ कार्यालय पत्रांक 90-बी/2009/245 दिनांक 7 जुलाई, 2009 द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया था।

प्रकरण में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 3 (300) नविवि/3/09 दिनांक 7 अक्टूबर, 2009 द्वारा योजना क्षेत्र में अवस्थित कुछ सरकारी भूमि पर न्यायिक विवाद होने एवं कतिपय मामलों में यथा स्थिति का आदेश होने के कारण योजना क्षेत्र में आ रही सरकारी भूमि के टुकडों को उसी स्थान पर ब्लॉक रखते हुए असल समूह को शेष योजना क्षेत्र के अनुमोदित प्लान को क्रियान्वित करने एवं इस संबंध में भूखण्डों की बिक्री पट्टा जारी करने एवं निर्माण संबंधी कार्यों पर लगायी गयी रोक को हटाये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही उल्लेख किया है कि न्यायालय के निर्णयोपरान्त विभागीय नीति के अनुरूप राजकीय भूमि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय ने वरिष्ठ नगर नियोजक, जोन जोधपुर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रगति के संबंध में विवरण चाहा। बैठक में पत्रावली मंगवायी गयी। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि वरिष्ठ नगर नियोजक को प्राधिकरण द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जारी नोटिस के क्रम में वरिष्ठ नगर नियोजक ने अपनी आपत्ति पेश की तत्पश्चात पत्रावली पर वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखकर विनिश्चयन करने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अब दिनांक 9 जून, 2009 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था तो आदिनांक तक इतना समय बीत जाने के बावजूद भी प्राधिकरण की बैठक में क्यों नहीं रखा गया। इस बिन्दु पर यह तथ्य प्रकट किया गया कि दिनांक 9 जून, 2009 के पश्चात् प्राधिकरण की मात्र एक बैठक ही आयोजित की गयी और वह बैठक भी एक एजेण्डा विशेष के लिए आयोजित की गयी थी इसलिए दिनांक 9 जून, 2009 के बाद आयोजित आगामी सामान्य बैठक आज ही आयोजित की गयी है एवं प्रकरण में एजेण्डा आईटम के रूप में आज की बैठक में रखा जाना चाहिए था। एजेण्डा आईटम बनाने हेतु अधिष्ठान द्वारा समस्त प्रभारी अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गये थे परन्तु

प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा द्वारा इस प्रकरण में पत्रावली पर निर्देश होने के बावजूद एजेण्डा आईटम प्रस्तावित नहीं करने के कारण स्पष्टीकरण लिया जाकर आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अग्रिम अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के इस प्रकरण पर हुए अनावश्यक विलम्ब पर नराजगी व्यक्त की तथा यह निर्देशित किया गया कि आगामी 15 दिवस में प्रभारी अधिकारी, स्थापना, सचिव एवं आयुक्त के माध्यम से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पत्रावली पर यह कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को प्रस्तावित करे।

2 प्रस्ताव संख्या (2) के संबध में अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हरित राजस्थान अभियान की प्रगति पूछे जाने पर निदेशक–अभियांत्रिक ने अवगत कराया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हरित राजस्थान अभियान हेतु रू. 380.12 लाख के कार्यादेश जारी किये गये हैं। इन कार्यो के अन्तर्गत कुल 16500 वृक्षो का वृक्षारोपण किया गया जिसमें से 4440 वृक्ष ट्री गार्ड में एवं 12060 वृक्ष फेन्सिंग में सघन वृक्षारोपण के तहत लगाये गये। अध्यक्ष महोदय द्वारा आगामी मानसून से पूर्व शहर में सघन एवं प्रभावी वृक्षारोपण के निर्देश दिये। वृक्षारोपण में ट्री गार्ड के स्थान पर खुले भू–भाग एवं सड़कों के किनारे तारबंदी कर वृक्षारोपण को प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश दिये। शहर के अन्दरूनी हिस्सों एवं आवश्यकतानुसार ट्री गार्ड लगाये जाकर वृक्षारोपण किये जाने के निर्देश भी प्रदान किये। वृक्षारोपण हेतु वन विभाग की नर्सरी को अभी से वृक्षों का कार्यादेश दिये जावे। मानसून से पहले 20,000 पेड लगाकर 5 मुख्य सडकों के दोनों ओर हरियाली विकसित करने का निर्णय लिया गया। महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर ने एयरपोर्ट से सर्किट हाऊस तक सघन वृक्षारोपण का सुझाव दिया। अध्यक्ष महोदय ने अपेक्षित होने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम मे सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग से समन्वय स्थापित करने के निर्देश प्रदान किये। वन विभाग की नर्सरी में पौधों की बुकिंग अभी से की जावे। वर्षा से पूर्व प्लान्टेशन करें, शहर की आठ दास सडकों का चयन करें एवं पौधारोपण का कार्य जुलाई में किया जावे। पाल रोड, पाली रोड, अजमेर रोड, भाटिया चौराहा से सर्किट हाऊस रोड इत्यादि सडको को चयन मे सम्मिलित किया जावे।

शहर के तीनो बड़े अस्पतालों के विकास हेतु गत वर्ष में 3.00 करोड रूपये का प्रावधान रखा गया था। चालू वित्तीय वर्ष मे ठोस कार्य योजना बनाये जाने के निर्देश दिये। अध्यक्ष महोदय ने शहर के तीनों अस्पताल यथा महात्मा गाधी अस्पताल, उम्मेद अस्पताल एवं मथुरादास माथुर अस्पताल में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु चालू वर्ष के बजट में क्रमशः 1.50 करोड, 1.50 करोड एव 2.00 करोड रूपये कुल 5.00 करोड रूपये का प्रावधान किया जावे। पिछले वित्तीय वर्ष मे 3.00 करोड के विरूद्ध लगभग 1.00 करोड रूपये की राशि व्यय की गयी है इसलिए पिछले वर्ष इस मद की बचत राशि 2.00 करोड रूपये एवं इस वर्ष 3.00 करोड रूपये का नया प्रावधान किया जाकर कुल 5.00 करोड रूपये का प्रावधान इस वर्ष हेतु किया जावे। यह राशि चार किश्तों में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा तीनों अस्पतालों को प्रथम छः माह मे 1/3, 1/3 त्रैमासिक किश्तो में अस्तपालों के विकास हेतु आवंटित किया जावे। इन कार्यो के लिए क्रियान्वयन एजेन्सी जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अथवा अन्य कोई भी विभाग/संस्था का चयन किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अस्पतालों के विकास हेतु प्राचार्य मेडिकल कॉलेज की अध्यक्षता में एक स्टण्डिग कमेटी गठित की जावे। जिसमें तीनों अस्पतालों के अधीक्षक एवं निदेशक अभियात्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर सदस्य होंगे, सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर समन्वयक एवं अपर जिला कलक्टर द्वितीय सह–समन्वयक होंगे। उक्त कमेटी 5.00 करोड़ रूपये की राशि का समय पर उपयोग

तीनों अस्पतालें के अधीक्षक एवं प्राचार्य मेडिकल कॉलेज की आवश्यक्तानुसार कार्य करवायेंगे।

3— प्रस्ताव संख्या (3) के संबंध में निर्णय लिया गया कि गौशाला मैदान में गत वित्तीय वर्ष में हुए विकास कार्यों पर अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त किया। साथ ही इस वित्तीय वर्ष में 50 लाख का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता बतायी। खेल ग्राम हेतु शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान (Physical Training Institute) में रिक्त पडी भूमि पर खेल ग्राम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। यह संस्थान माध्यमिक शिक्षा के अधीन है। शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान के खेल मैदानों को खेल गांव के रूप में विकसित करने हेतु 60.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा जावे जिसमें 20 लाख रूपये संस्थान द्वारा वहन किये जायेंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि चैनपुरा स्कूल के विकास हेतु 50.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा जावे जिसमें 10.00 लाख रूपये विद्यालय की ओर से होंगे। दोनों खेल मैदानों के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जावे। इन कार्यों के पर्यवेक्षण एवं व्यवस्थित विकास की दृष्टि से एक समिति जिला कलक्टर, जोधपुर की अध्यक्षता में गठित होगी जिसमें प्राचार्य, शारीरिक प्रशिक्षण सस्थान व सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर सदस्य होंगे। खेल मैदानों का मास्टर प्लान दिनांक 22 अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किया जावे।

बैठक में महापौर द्वारा निम्नाकिंत बिन्दु प्रस्तुत किये गये।

1. जालोरी गेट से सोजती गेट तक पीछे की सडक यातायात में सुधार हेतु विकास यथा चौड़ाई एवं सडक निर्माण नितान्त आवश्यक है।
2. वृक्षारोपण हेतु एक वार्ड का चयन किया जावे, रातानाडा बेल्ट में सीवरेज लाईन डालने के पश्चात, बाईपास रोड़ बनाड़ से नागौर रोड़ का चयन किया जावे।
3. प्राधिकरण विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक उपयोग हेतु 15 प्रतिशत भूमि यथा नगर निगम, पुलिस अथवा दूसरे विभागों हेतु आरक्षित की जावे।
4. प्राधिकरण की योजनाओं में सीवरेज लाईन को सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की मुख्य लाईन तक ले जाकर जोड़ा जाये।
5. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पास ओवर हैड टेंक का साईड प्लान का अनुमोदन किया जावे।
6. शहर के आस-पास पहाड़ी क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र करवाया जाये।
7. नागौर रोड पर स्टोन पार्क के पास की पहाड़ी पर वृक्षारोपण कार्य करवाया जाये।
8. खेल ग्राम में ठहरने के लिए समुचित भवन बनाया जाये हो सके तो एयरपार्ट के पास की स्थित भूमि पर प्रस्तावित किया जाये।

4— प्रस्ताव संख्या (11) के संबंध में ग्राम बड़ली में राजस्थान आवासन मण्डल को भूमि हस्तान्तरण की प्रगति पूछे जाने पर उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल ने अवगत कराया कि उन्हें ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 रकबा 990 बीघा भूमि आवटित कर दी गयी है किन्तु अभी भी 110 बीघा भूमि आवटन किया जाना शेष है। अवशेष भूमि के संबंध में पूछे जाने पर आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर में लम्बित है। अध्यक्ष महोदय ने खनन विभाग को इस खसरा नम्बर में भूमि आवंटन के संबंध में पूछे जाने पर उन्हें अवगत कराया कि वह प्रकरण खसरा संख्या 5 से संबंधित है न कि खसरा संख्या 88 से। अध्यक्ष महोदय द्वारा खनन विभाग के अतिरिक्त निदेशक को बैठक में बुलाया जाकर अवैध खनन एवं खनन विभाग को जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में चर्चा की गयी। ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 5 की भूमि खनन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सबंध मे उपायुक्त-पश्चिम, प्राधिकरण की राय पूछे जाने पर उन्होंने अवगत कराया कि यह नीतिगत निर्णय है।

चूंकि प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अध्यक्ष महोदय प्राधिकरण ने कहा कि प्रकरण में दायर अपील की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय तथा खनन विभाग को उपलब्ध करावें तथा वे इस प्रकरण में पुनः विचार कर शीघ्र ही एक और बैठक आमंत्रित कर निर्णय लेंगे।

5— प्रस्ताव संख्या (12) पाल रोड एवं पाली रोड के प्रकरण के संबंध में निदेशक–अभियांत्रिक द्वारा अवगत कराया कि पाल रोड पर सडक निर्माण एवं अन्य सुविधाओं के विकास हेतु राशि रूपये 3.42 करोड रूपये स्वीकृत होने से निविदा आमंत्रित की गयी जिसकी निविदा तिथि 26 अप्रैल, 2010 है।

6— प्रस्ताव संख्या (15) के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक पार्कों में लगी लाईट्स में विद्युत अपव्यय रोकने की दृष्टि से प्राधिकरण द्वारा संचालित न्यूनतम 20 पार्कों में आगामी एक माह में टाईमर लगाकर देर रात्रि के समय न्यूनतम प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

प्रस्ताव संख्या 2 :: राजीव गांधी नगर योजना के संबंध में पारित परिचलन प्रस्ताव दिनांक 13 अक्टूबर, 2009 का अनुमोदन

राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61 व 72 (पार्ट) की लगभग 1800 बीघा भूमि पर बनायी गयी है। योजना में विभिन्न आकार के 4648 भूखण्ड हैं। योजना में लॉटरी द्वारा 3072 भूखण्डों का आवंटन किया गया है। योजना की स्वीकृति परिचलन प्रस्ताव के माध्यम से प्राधिकरण से ली गयी है। प्रकरण अनुमोदनार्थ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त परिचलन प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया तथा लॉटरी के पश्चात् लॉटरी प्रकिया में लिपिकीय/ कम्प्यूटर त्रुटि के कारण प्राप्त प्रतिवेदनों पर सुनवाई कर उचित निर्णय लेने हेतु लॉटरी हेतु गठित लॉटरी समिति को अधिकृत करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटियों की विभिन्न समस्याओं एवं अतिकमण हटाये जाने पर चर्चा।

नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा ग्राम जोधपुर में वर्ष 1989 में 443.10 बीघा भूमि पर पूर्वी पाल रोड़ नामक आवासीय योजना सम्पूर्ण भूमि को छः सेक्टरों में विभाजित करते हुए तैयार की गई थी। माह मार्च, 2010 में कराये गये सर्वे अनुसार योजना के उपलब्ध नक्शे तथा लीज वसूली शाखा की सूचना अनुसार स्थिति निम्न प्रकार हैः—

क्र. सं.	सेक्टर	कुल भूखण्ड	आवंटित भूखण्ड	मौके पर रिक्त भूखण्ड	अतिकमित भूखण्ड	विशेष विवरण
1-	A	130	60	--	130	
2-	B	168	91	145	23	
3-	C	305	254	305	--	
4-	D	327	92	153	174	
5-	G	347	117	35	312	
6-	H	122	54	66	56	
	Total	1399	668	704	695	

योजना मे अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरणों के कारण कतिपय आवंटियों को कब्जे नहीं दिये जा सके। अतः आवंटियों को कब्जा देने हेतु निम्न प्रस्ताव है:-

1- योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों का चिन्हिकरण कर मुटाम लगाने के पश्चात् भूखण्ड के आवंटी को कब्जा देना।

2- शेष रहे रिक्त भूखण्डों पर अन्य आवंटियों को निम्न समिति द्वारा लॉटरी द्वारा समतुल्य भूखण्ड देना:-

1- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2- संबंधित उपायुक्त
3- उप नगर नियोजक

3- आधारभूत सुविधाओं का विकास नहीं होने से योजना में आबादी विकसित नहीं हो पायी है। नियमानुसार आधारभूत सुविधाओं के विकास अथवा 7 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, निर्माण किये जाने के प्रावधान है। चूंकि आधारभूत सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है। अतः पुनर्ग्रहण शुल्क में शिथिलता दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 444 ऐसे आवंटी हैं जिनके भूखण्ड हैं एवं जिनकी मौके पर स्पष्ट निशानदेही नहीं हैं, उन पर मुटाम करवाये जावें तथा 224 ऐसे आवटी जिनके भूखण्डों पर अतिक्रमण हैं उनको इसी योजना में उपलब्ध 260 रिक्त भूखण्डों में नियमानुसार समायोजित किया जावे। इस हेतु उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया:-

1- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2- संबंधित उपायुक्त
3- उप नगर नियोजक

बैठक में बाद विचार विमर्श कर योजना मे आधारभूत विकास नहीं होने से पुनर्ग्रहण शुल्क में शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 (1) :: दन्तोपंथ ठेंगडी एवं रामराज नगर में भिन्न आय वर्ग में आवंटित भूखण्डों पर निर्णय

रामराज नगर एवं दन्तोपथ ठेंगडी नगर में आवेदकों ने अपन से भिन्न आयवर्ग में भूखण्ड के लिए आवेदन किया। लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटित कर दिये गये, आवंटियों द्वारा भूखण्ड की कीमत राशि भी जमा करवा दी है:-

1- ऐसे आवेदक जिन्होंने अपने से निम्न आय वर्ग के लिए आवेदन किया है। ऐसे आवेदकों की संख्या दन्तोपंथ ठेंगडी नगर में 103 तथा रामराज नगर में 7 है। उच्च आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग की आरक्षित दर में अन्तर है। निम्न आय वर्ग की दर कम है तथा उच्च आय वर्ग की दर अधिक है। दोनों योजनाओं के 110 भूखण्डों की अन्तर राशि 37,52,724/- रूपये होती है।

2- उक्त दोनों योजनाओं में अधिकतम 20,000/- रूपये मासिक आय वर्ग वाले आवेदक ही आवेदन कर सकते थे। किन्तु दन्तोपंथ ठेंगडी नगर में 11 एवं रामराज नगर में 3 आवेदक जिनकी आय 20,000/- रूपये मासिक से अधिक है, ने आवेदन किया एवं

उन्हें लॉटरी द्वारा भूखण्ड भी आवंटित हो गया तथा आवेदक द्वारा राशि भी जमा करवा दी गयी है।

3— रामराज नगर व दन्तोपंथ ठेंगडी नगर में एक–एक आवेदक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आय वर्ग से बडे भूखण्ड के लिए आवेदन किया है व आवंटित हुआ है। भूखण्ड की कीमत भी जमा करवा दी है।

उक्त तीनों प्रकार के प्रकरणो को नियमित करने के संबंध में निर्णय लिये जाने के संबंध में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि दन्तोपत ठेंगडी एवं रामराज नगर में जिन आवेदकों ने अपने निर्धारित आय वर्ग से निम्न आय वर्ग के लिए आवेदन किया था, प्रथमदृष्टया उन्हें सही नहीं माना गया। इस प्रकार के भूखण्डधारियों के भूखण्डों का आवंटियों द्वारा अपने निर्धारित आय वर्ग की दर एव उससे उच्च आय वर्ग की राशि शास्ति के रूप में जमा करवाने पर नियमन करने का निर्णय लिया गया।

जिन आवेदकों ने अपने निर्धारित आय वर्ग से उच्च आय वर्ग में आवेदन किया तथा उन्होंने उच्च आय वर्ग की निर्धारित दर से राशि जमा करायी है उन्हें भी उच्च आय वर्ग से अगली आय वर्ग की निर्धारित दर शास्ती के रूप में जमा करवाने पर नियमन करने का निर्णय लिया गया।

रामराज नगर एवं दंतोपंत ठेंगडी नगर में निर्धारित अधिकतम आय वर्ग सीमा 20000/– रूपये प्रतिमाह थी। जिन आवेदकों की आय 20000/– रूपये से अधिक थी एवं जिन्होंने भूखण्ड के लिए आवेदन किया था एव उन्हें आवंटन भी हो गया था, प्राधिकरण की बैठक में उनको आवंटन का पात्र नहीं माना गया। ऐसे आवंटियों के भूखण्ड निरस्त कर भूखण्ड के पेटे जमा राशि लौटाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 (2) :: दन्तोपंथ ठेंगडी नगर से रामराज नगर में आवंटित भूखण्डों पर निर्णय

राज्य कर्मचारियों की आवासीय योजना दन्तोपंथ ठेंगडी नगर में दिनांक 25 जुलाई, 2008 को 828 भूखण्डों की लॉटरी निकाली गयी किन्तु दन्तोपंथ ठेंगडी नगर में भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण न्यास की समीपस्थ आवासीय योजना रामराज नगर में 235 आवेदकों को भूखण्ड आवंटित कर दिये गये। दिनांक 9 जून, 2009 को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक के प्रस्ताव संख्या 4 (2) द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त आवटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जावे।

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के जोधपुर प्रवास के दौरान बैठक दिनाक 31 जुलाई, 2009 में विचार विमर्श कर कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 17 में 235 भूखण्डों का रामराज नगर से दन्तोपंथ ठेंगडी नगर में आवंटन–पत्र जारी करने का लिखा गया हैं। जबकि दन्तोपंथ ठेंगडी नगर से रामराज नगर में लिखा जाना चाहिए था। कार्यवाही विवरण मे यह भी लिखा है कि इस शिफिटंग के संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर निर्णय लिया जावे।

रामराज नगर में वर्तमान में 531 रिक्त भूखण्ड उपलब्ध है। आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने अवगत कराया कि दोनों योजनाओं के भूखण्ड मूल्य की दृष्टि से समतुल्य हैं।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 235 प्रकरण है ऐसे हैं जिनमें दन्तोपंत ठेंगडी के स्थान पर रामराज नगर में आवंटन जारी किया गया हैं उनको अनुमत कर दिया है। 235 को आवंटन के निर्णय का अनुमोदन किया है उनको लीज डीड जारी कर दिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 (3) :: दन्तोपंथ ठेंगडी एवं रामराज नगर में अतिकमित भूखण्डों के स्थान पर वैकल्पिक भूखण्ड दिये जाने पर निर्णय।

दन्तोपथ ठेंगडी नगर में 29 तथा रामराज नगर में 25 भूखण्ड ऐसे हैं जिनका लॉटरी द्वारा आवंटन तो कर दिया गया किन्तु इन भूखण्डों पर योजना बनाने से पूर्व ही अतिकमण था एवं लोग निवास कर रहे हैं। अतिकमियों में से कुछ ने बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं। इन भूखण्डधारियों को रामराज नगर में उपलब्ध समतुल्य खाली भूखण्ड दिया जाना है। किन्तु समतुल्य रिक्त भूखण्ड उपलब्ध नहीं हैं। अतः उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से छोटे एवं बड़े साईज के भूखण्डों की सूची बनाकर लॉटरी द्वारा अतिकमित भूखण्डों के स्थान पर भूखण्ड आवंटित कर दिये जावे। लॉटरी में यदि छोटा भूखण्ड आये तो उसकी अधिक जमा राशि लौटा दी जावे एवं यदि बडा भूखण्ड आये तो उससे अन्तर राशि वसूल कर ली जावे।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से इन भूखण्डों के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इन भूखण्डधारियों को रामराज नगर में मूल्य की दृष्टि से समतुल्य रिक्त भूखण्ड आवंटन करने के लिए प्राधिकरण की राजीव गांधी नगर योजना की लॉटरी के लिए गठित समिति को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है।

प्रस्ताव संख्या 5 :: कीर्तिनगर योजना में आवंटियों को कब्जा दिये जाने एवं पूर्व न्यास बैठकों में लिये गये निर्णयों पर चर्चा

नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा वर्ष 1988 में जोन उत्तर में कीर्ति नगर नामक आवासीय योजना विकसित की गई। उक्त योजना में सेक्टर बी में भूखण्डों का आवंटन किया गया। भूखण्डो का आंवटन होने के पश्चात् कीमत राशि जमा करवाकर आवंटित भूखण्ड धारियो को लाईसेंस व साईट प्लान जारी कर दिये गये। वर्तमान मे उक्त आवंटित भूखण्डों में अधिकांश पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। जोधपुर नगर विकास न्यास की बैठक दिनांक 1.2.07 के प्रस्ताव संख्या 6 में कीर्ति नगर सेक्टर "बी" को डिनोटिफाई करने का निर्णय लिया गया। आंवटित भूखण्डधारियों ने भूखण्डो का कब्जा दिलाने अथवा अन्यत्र भूखण्ड आवंटन बाबत् उपभोक्ता मंच व अन्य न्यायालय में वाद भी दायर कर रखे है। कुछ प्रकरणों में कब्जा देने अथवा अन्यत्र भूमि आवंटन के निर्णय भी हो चुके हैं। पूर्व में भी माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में कुछ आवंटियों को अन्यत्र भूखण्ड भी आवंटित दिये गये थे परन्तु सेक्टर "बी" में अभी भी 161 भूखण्ड धारियों को अन्यत्र भूखण्ड आवंटन किया जाना है। इन आवंटियों के भूखण्ड पर अन्य व्यक्ति काबिज है। योजना में कुल 232 आवंटी है।

अतः कीर्ति नगर सेक्टर बी के शेष रहे आवटियों को जोधपुर विकास प्राधिकरण की अन्य योजना मे रिक्त भूखण्डों में से भूखण्ड देने अथवा अन्य जगह नई योजना बनाकर भूखण्ड धारियों को भूखण्ड दिए जाने के कम में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना एव ले-आऊट प्लान बनाकर प्रकरण आगामी बैठक मे प्रस्तुत किया जावे।

(61)

प्रस्ताव संख्या 6 :: मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में अतिक्रमण हटाये जाने एवं आवंटित भूखण्डधारियों को वैकल्पिक भूखण्ड दिये जाने बाबत/नवीन प्लान बनाये जाने पर चर्चा

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा वष 1998–1999 में मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना ग्राम सांगरिया में भूखण्डों का आवंटन किया गया था। उक्त योजना में आवंटित भूखण्डों में से कुछ भूखण्डों पर अतिक्रमण होने के कारण लीज डीड जारी कर भूखण्डों का आवंटियों को कब्जा नहीं दिया जा सका। अतिक्रमण से प्रभावित 29 भूखण्ड है। इस संबंध में निम्न प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है:

1– योजना के निकट स्थित अन्य भूमि पर योजना बनाकर आवंटियों को वैकल्पिक भूखण्ड देना।

2– आवंटियों को अन्य किसी योजना में वैकल्पिक भूखण्ड देना।

प्रकरण निर्णय हेतु प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार योजना के समीप अवस्थित भूमि पर योजना बनाकर आवंटियों को शिफट किया जावे किन्तु आवंटन निष्पक्ष रूप से हो यह सुनिश्चित किया जावे। अतिक्रमियों के अतिक्रमण हटाये जाने की भी कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 :: भू–पट्टी आवंटन समिति के गठन के निर्णय का अनुमोदन

जोधपुर विकास प्राधिकरण गठन पश्चात् भू–पट्टी आवंटन समिति का गठन नहीं हुआ था। दिनांक 25 जनवरी, 2010 को अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन पश्चात् भवन मानचित्र स्वीकृति समिति–प्रथम को भू–पट्टी आवंटन समिति के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है जिसमें 2 अतिरिक्त सदस्य निदेशक–अभियांत्रिकी एवं निदेशक – आयोजना को भी सम्मिलित किया गया है। इनके अतिरिक्त सचिव, संबंधित उपायुक्त, संबंधित अधिशाषी अभियन्ता एवं उप नगर नियोजक प्राधिकरण भी समिति के सदस्य है। समिति गठन के आदेश अनुमोदनार्थ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श उपरोक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर को भूमि आवंटन निर्णय का अनुमोदन।

क्र. सं.	विवरण	आवंटी का नाम	भूमि मय खसरा नम्बर	दर	विशेष विवरण
1	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 132 जीएसएस हेतु झालामण्ड में भूमि आवंटन	अधिशाषी अभियन्ता (C&M-400KVGSS) आरवीपीएनएल, जोधपुर	ग्राम झालामण्ड खसरा संख्या 413 में 132 केवी जीएसएस हेतु 35 बीघा यानि 56656.9 वर्ग मीटर भूमि	आरक्षित दर 1200/– की 50 प्रतिशत दर 600/ प्रति वर्ग मीटर	नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प–3(208)नविवि/3/95 पार्ट दिनांक 06.08.09
2	अधिशाषी अभियन्ता (CRP) जोधपुर विद्युत	अधिशाषी अभियन्ता (CRP) जोधपुर	ग्राम गेवा के खसरा संख्या	आवासीय आरक्षित दर	नगरीय विकास विभाग के पत्र

	वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर	विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर	778 में 33/11 के.वी. जीएसएस हेतु 57 X 115 = 6555 वर्ग फीट यानि 608.96 वर्ग मीटर	1320/- + 20 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क 264/- कुल रूपये 1584/- प्रति वर्ग मीटर	कमांक प–3(208)नविवि/3/95 पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसार 50 प्रतिशत पर आवंटन करने का निवेदन किया है।
3	33/11 के.वी. सब स्टेशन हेतु सचिव पाबुपूरा पचायत विकास समिति द्वारा उपलब्ध करवाई गई भूमि निःशुल्क आवंटन	अधिशाषी अभियन्ता (CRP) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर	ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 632/2 (पाबूपुरा में स्थित) में 33/11 के.वी. जीएसएस हेतु 64 X 200 = 12800 वर्ग फीट यानि 1183.11 वर्ग मीटर	आवासीय आरक्षित दर 3300/- + 20 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क 660/- प्रति वर्ग मीटर	नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प–3(208)नविवि/3/95 पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसार 50 प्रतिशत पर आवंटन करने का निवेदन किया है।
4	न्यू पाली रोड स्थित नवदुर्गा नगर (आलामण्ड) क्षेत्र मे विद्युत सब स्टेशन हेतु जोधपुर वितरण निगम लि. को रियायती दर पर भूमि आवंटन	अधिशाषी अभियन्ता (CRP) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर	ग्राम द्वण्ढ के खसरा संख्या 3 में 33/11 केवी जीएसएस हेतु 50 X 50 - 232.25 वर्ग मीटर	आरक्षित दर 1200/- + 10 प्रतिशत बढोतरी = 1320/- प्र. वर्ग मीटर + 20 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क 264/- कुल रूपये 1584/- प्रति वर्ग मीटर	नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प–3(208)नविवि/3/95 पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसार 50 प्रतिशत पर आवंटन करने का निवेदन किया है।

बैठक में वाद विचार विमर्श उपरोक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: समाचार पत्रों की विज्ञापन दरों का अनुमोदन।

अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकरण में विस्तृत रिपोर्ट बनाकर निर्णय लेने हेतु आगामी बैठक में रखने के निर्देश दिये।

प्रस्ताव संख्या 10 :: विभिन्न शमशान/शवदाहगृह हेतु भूमि आवंटन पर निर्णय

विभिन्न समाजों/संस्थाओं द्वारा प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में शमशान/कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन का निवेदन किया जाता रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय प्रकोष्ठ से भी इस संबंध में कई प्रकरण लम्बित है। राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के अन्तर्गत शमशान/कब्रिस्तान के भूमि आवंटन के बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश/ नियम नहीं हैं। अतः प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से सार्वजनिक शवदाहगृह/कब्रिस्तान हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन नगर निगम, जोधपुर को देने पर सहमति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या 11 :: **कायलाना क्षैत्र को प्रतिबंधित क्षैत्र घोषित करने बाबत वन विभाग के पत्र पर विचार विमर्श तथा निर्णय**

मण्डल वन अधिकारी, जोधपुर ने कायलाना चौराहे से मुख्य कायलाना झील तक उत्तर में स्थित राजस्व ग्राम गैंवा के खसरा संख्या 534 एवं 818 को निर्माण निषेध क्षैत्र (नो कन्स्ट्रक्सन जोन) घोषित करने का निवेदन किया है। उनके द्वारा क्षैत्र में निर्माण स्वीकृति नहीं दिये जाने का सुझाव दिया है। उक्त प्रस्तावित निर्माण निषेध क्षैत्र घोषित करने के संबंध में विचार विमर्श करने हेतु वन विभाग की ओर से सीमा का उल्लेख करते हुए क्षैत्रफल की जानकारी/प्रस्ताव/जीटी शीट/सेटेलाईट इमेजरी/खसरा मानचित्र पर अंकित कर भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है। मण्डन वन अधिकारी द्वारा सडक के मध्य से 50–50 मीटर दोनों ओर निर्माण निषेध क्षैत्र का अंकन करते हुए मानचित्र उपलब्ध कराया गया है, जिसका खसरा संख्या 534 एवं 818 के अलावा अन्य खसरान् की भूमि भी सम्मिलित होना पाया गया है। जिसमें कायलाना सड़क क सहारे सहारे एवं खसरा नम्बर 686 के आधे भाग तथा 819 के कुछ भाग को भी निर्माण निषेध क्षैत्र अंकित किया गया है।

इस क्षैत्र को निर्माण निषेध क्षेत्र घोषित करने के लिए श्री कृष्ण शर्मा, ग्राम गैंवा जोधपुर ने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को खसरा संख्या 816 एवं 817 (वन विभाग की भूमि) तथा खसरा संख्या 815 एवं तथा 818 (गैर मुमकिन तालाब) की भूमि पर किये जा रहे अतिकमण का उल्लेख करते हुए नो कन्स्ट्रक्सन जोन घोषित करने का सुझाव दिया गया है।

वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय से उक्त क्षेत्र को इको सेन्सेटिव जोन के रूप में निर्धारित कर समस्त वन भूमि जिसमें कायलाना झील को सम्मिलित करते हुए चारों ओर निर्माण निषेध क्षेत्र अधिसूचित कराया जाने के साथ–साथ समीपीय खातेदारी भूमि के रूप में स्थित पहाड़ी क्षैत्र एवं सघन वृक्षारोपित क्षेत्र को भी सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है।

जोधपुर नगर के मास्टर प्लान के अनुसार उक्त सड़क के सहारे सहारे आवासीय एवं पर्यटक सुविधा क्षैत्र के रूप में तथा कायलाना, तख्तसागर के चारों ओर पर्यटन सुविधा क्षैत्र अंकित किया गया है। माचिया सफारी पार्क एव वन विभाग की भूमि की सीमा के 100 – 300 मीटर दूरी में नो–कन्स्ट्रक्सन जोन घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त बिन्दु के सम्यक परीक्षण हेतु सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, उप वन संरक्षक (वन्य जीव) एवं आयुक्त (सूरसागर), नगर निगम, जोधपुर की समिति गठित की जाना भी प्रस्तावित है। प्रकरण विचारार्थ बैठक में प्रस्तुत किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कायलाना और माचिया बाईलोजी पार्क के समग्र संरक्षण के लिए समिति गठित की जाती है। समिति मे सचिव प्राधिकरण, मण्डल वन अधिकारी (वन्य जीव), आयुक्त सूरसागर, वरिष्ठ नगर नियोजक सदस्य होंगे। समिति नो–कंस्ट्रक्सन जोन बनाये जाने के संबंध में विस्तृत कार्य योजना भूमि का विवरण के साथ प्रस्तुत करेगी जिससे नो–कंस्ट्रक्सन जोन पर निर्णय लिया जाएगा।

(64)

प्रस्ताव संख्या 12 :: विभिन्न राजकीय विभागों एवं अन्य संस्थाओं को भूमि आवंटन का अनुमोदन

विभिन्न राजकीय विभागों एवं संस्थाओं को आवंटन करने का अधिकार प्राधिकरण में निहित है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जाती है। गत बैठक के पश्चात् प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त कर किये गये आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है:-

1— विद्यालयों को भूमि आवंटनः—

क्र. सं.	विवरण	आवंटी का नाम	भूमि मय खसरा नम्बर	दर
1	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पहाड़गज (द्वितीय) जोधपुर को 71 ग 52 वर्ग फीट खसरा नम्बर 1893 गैर मुमकीन निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत (फाईल नम्बर 1666 के साथ संलग्न) फाईल 1712	प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पहाड़गज (द्वितीय) जोधपुर	ग्राम मण्डोर खसरा नम्बर 1893 रकबा 143 बीघा 9 बिस्वा भूमि	निःशुल्क आवटन को पेरा 33 की पालना में वास्ते अनुमोदन
2	जगजीवन राम कोलोनी विकास समिति को विद्यालय हेतु भूमि आवंटन।	प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जगजीवन राम कोलोनी, भदवासिया, जोधपुर	क्षेत्रफल 297.22 वर्ग मीटर, भदवासिया	निःशुल्क आवंटन अनुमोदनार्थ

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उक्त प्रकरणों में निःशुल्क भूमि आवंटन का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

2— जलदाय विभाग को आवटनः—

क्र. सं.	विवरण	आवंटी का नाम	भूमि मय खसरा नम्बर	दर	विशेष विवरण
1	अधिशाषी अभियन्ता पीएचईडी सिटी डिविजन—द्वितीय (पी एण्ड डी) जोधपुर द्वारा पानी टंकी हेतु भूमि आवंटन	अधिशाषी अभियन्ता पीएचईडी सिटी डिविजन—द्वितीय (पी एण्ड डी) जोधपुर	ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 111 राजीव नगर सेक्टर—डी में ओवर हेड पानी की टंकी बनाने हेतु 842.84 वर्ग मीटर	व्यवसायिक आरक्षित दर 2640/— + 20 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क 528/— कुल रूपये 3168/ रू. 2670118/—	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निःशुल्क आवंटन का निवेदन किया है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया।

राज्य सरकार की नीति एवं समय—समय पर जारी निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण में अनुमोदन की अपेक्षा में निम्न आवंटन अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन पश्चात् किये गये हैं।

1— राडार (MSSR) को आवंटित भूमि

क्र सं.	विवरण	आवंटी का नाम	भूमि मय खसरा नम्बर	दर	राज्य सरकार के आदेश / परिपत्र
1	निदेशक भारतीय विमान पतन को राडार (MSSR) को भूमि आवंटन (फाईल नम्बर 1690)	विमानपतन निदेशक, भारतीय विमानपतन प्राधिकरण हवाई अड्डा जोधपुर	ग्राम चौखा मे 3716 व. मी आवंटन पत्र 1272–76 दि. 23.10.09	आरक्षित दर की दुगनी दर 975 / गुणा 2 = 1950 / – + 20 प्रशासनिक शुल्क 390 = 2340	प–3(465)नविवि / 3 / 09 पार्ट दिनांक 23.12. 09

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अध्यक्ष महोदय द्वारा किये गये आवंटन का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

2– राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्था (NIFT) को आवंटित भूमि

क्र सं.	विवरण	आवंटी का नाम	भूमि गया खसरा नम्बर	दर	राज्य सरकार के आदेश / परिपत्र
1	राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी सस्था (NIFT) नई दिल्ली को ग्राम कडवड खसरा सं. 417 में 50 बीघा भूमि आवंटन बाबत। (फाईल नम्बर 1827)	महानिदेशक राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलौजी संस्थान एवं सदस्य बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी सस्था (NIFT) नई दिल्ली	ग्राम कडवड खसरा सं. 417 में 50 बीघा आवंटन पत्र 3182–87 दि. 26.02.10	निःशुल्क आवंटन किया गया है। अनुमोदनार्थ पेश है।	प–3(62)नविवि / 3 / 10 दिनांक 08.02.10

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अध्यक्ष महोदय द्वारा किये गये आवंटन का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

3– AQUISITION OF LAND FOR ESTABLISHMENT OF HQ 45 BRTF (GREF) AND ITSALLIED UNITS HEADQUARTERS 45 BORDER ROADS TASK FPRCE

श्री अजय बत्रा, कर्नल कमाण्डर मुख्यालय 45 बोर्डर रोड टास्क फोर्स जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक 2038 / लैण्ड / 08 / ई–2 दिनांक 13 मार्च, 2010 द्वारा ग्राम लोरडी पण्डित जी तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 100 व 103 में से 25 एकड भूमि आवंटन का निवेदन किया है। जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक प–12(3–) राज / आवं. / 10 दिनांक 18.03.10 के द्वारा उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम हस्तान्तरित की गई है। ग्राम लोरडी पण्डित जी के खसरा नम्बर 100 रकबा 172.10 बीघा मे से 10 बीघा एवं खसरा संख्या 103 मी. रकबा 196.09 बीघा मे से 52.10 बीघा कुल 62.10 बीघा अर्थात् 25 एकड़ भूमि 45 सीमा कृतिक बल, जोधपुर को प्राधिकरण द्वारा पत्रांक 4208 दिनांक 23.03.10 को 62.10 बीघा आवंटन की गई है। अतः प्रकरण राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प–3(615)नविवि / 3 / 09 दिनांक 04.01.2010 के अनुसार प्राधिकरण की बैठक में वास्ते अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

बैठक में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि आवंटित भूमि का क्षैत्रफल अधिक प्रतीत होता है। अतः क्षैत्रफल की समीक्षा करना आवश्यक है। आवेदक सस्था द्वारा आवेदित भूमि का पूरा प्लान लिया जावे तथा आवश्यकतानुसार ही क्षैत्रफल के आवंटन हेतु प्रकरण की समीक्षा की जावे।

प्रस्ताव संख्या :: 13 — विभिन्न समाजों/संस्थाओं को सामुदायिक कार्यों हेतु भूमि आवंटन के प्रार्थना पत्रों को अग्रेषित करने पर चर्चा

1. वीर तेजा मंदिर शिक्षण संस्थान ख. न. 179 ग्राम सागरिया में भूमि आवंटन

क्र. सं.	क्षेत्रफल	भूमि का विवरण	जमा राशि का विवरण	आपत्ति	विशेष विवरण
1	25586 वर्ग गज	ग्राम सागरिया खसरा नम्बर 179		गैर मुमकीन आगोर में आवंटन तथा 1500 वर्ग गज से अधिक भूमि आवंटन।	गैर मुमकीन आगोर में आवंटन है। अतः निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि भूमि की किस्म आगोर है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से उक्त भूमि आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

2. बकरामण्डी ग्राम चौखा

क्र. सं.	क्षेत्रफल	भूमि का विवरण	जमा राशि का विवरण	आपत्ति	विशेष विवरण
1	--	ग्राम चौखा		1. पूर्व में 456 व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटन किये गये थे। वर्तमान में 481 भूखण्ड उपलब्ध है। पूर्व में 23 प्रार्थना पत्र व्यवसाय प्रमाण पत्र नहीं होने से लम्बित है। 5 प्रमाण पत्र कार्यालय में उपलब्ध है परन्तु मार्किंग नहीं है। 2. पाईप लाईन पर 23 भूखण्ड प्रभावित हो रहे है।	पाईप लाईन से प्रभावित होने वाले भूखण्डधारियों को इसी योजना में शेष बचे भूखण्डों पर लॉटरी द्वारा आवंटन।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बकरामण्डी योजना में स्थित 19 भूखण्ड जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की पाईप लाईन से प्रभावित हुए हैं उनको इसी योजना में उपलब्ध 25 रिक्त भूखण्डों में लॉटरी समिति द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जावे तथा पाईप लाईन शिफिटंग

की कार्यवाही की जावे। पाईप लाईन शिफट होने से प्राप्त होने वाले भूखण्डों की नीलामी/आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जावे।

3. श्री रामसुख श्री गोपाल गौशाला मंदिर प्रन्यास ग्राम केरू

क्रं. सं.	क्षेत्रफल	भूमि का विवरण	जमा राशि का विवरण	आपत्ति	विशेष विवरण
1	14 बीघा	ग्राम केरू खसरा नम्बर 812	—	प्राधिकरण नियमों के अन्तर्गत गौशाला इत्यादि को भूमि आवंटन के प्रावधान नहीं है।	नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प–3(615) नविवि/3/09 दिनांक 04.01.10 के अनुसार प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक संस्थाओं हेतु अलग नीति अनुसार ही गौशाला के प्रकरणों के आवंटन की कार्यवाही की जावे।

आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने बताया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधीन राजकीय भूमियों के आवंटन के संबंध में जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा तीन तरह की प्रकिया अपनायी जा रही है। कुछ प्रकरणों में उनके स्तर पर भूमि आवंटन के क्रम में अनापत्ति मांगी जा रही है, कुछ प्रकरणों में सीधे ही भूमि आवंटन किया जा रहा है और कुछ प्रकरणों में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को भूमि आवंटन के निर्देश दिये जा रहे हैं। जबकि राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक F 6 (9) Rev.-6/ 96 pt./10 Dated June 02, 2009 द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षैत्राधिकार में अवस्थित राजकीय भूमि का आवटन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया जाना है। अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में एक नीति अपनाये जाने हेतु जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर को पत्र लिखने के निर्देश दिये।

4. रामेश्वर शिक्षण संस्थान को भूमि आवंटन

क्रं. सं.	क्षेत्रफल	भूमि का विवरण	जमा राशि का विवरण	आपत्ति	विशेष विवरण
1	3200 वर्ग गज	दतोपन्त ठेगड़ी नगर योजना ग्राम चौखा	10 प्रतिशत राशि जमा 374400/– राज्य सरकार के परिपत्र क्रमाक प–3(701)नविवि व /3/08 दिनांक 13.10.08 द्वारा 40 प्रतिशत दर	न्यास की आवंटन समिति दिनांक 08.08.08 के प्रस्ताव संख्या 28 में निर्णयानुसार श्री रामेश्वरम् शिक्षण संस्थान,	विनिश्चिय किया जाना है कि संस्था को आगणवा या दतोपन्त ठेगडी नगर में से कहां आवंटन किया जाये।

			पर आवंटन किये जाने की स्वीकति प्रदान की गई है।	जोधपुर को ग्राम आंगणवा में आवंटन करने का निर्णय लिया गया है परन्तु पत्रावली में रिव्यू बैठक के आधार पर दतोपन्त ठेगड़ी नगर में आवटन कर दिया गया। रिव्यू बैठक की पत्रावली उपलब्ध नहीं है।	

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण आगामी बैठक मे समस्त तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

5. दैनिक नवज्योति/चार्टेड़ अकाउटेन्ट (सी.ए) को भूमि आवंटन।

क्रं. सं.	क्षेत्रफल	भूमि का विवरण	जमा राशि का विवरण	पत्रावली का विवरण	विशेष विवरण
1	1. 301.83 व. मी. 2. 2368.95 व.मी.	ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 91	जमा	पूर्व में उक्त खसरे का ले–आउट प्लान बनाया गया था। हाउसिंग बोर्ड की आपत्ति प्राप्त होने पर पैमाइस की गई। उक्त भूमि के कुछ क्षेत्र पर अतिकमण है। विभिन्न संस्थाओं को उक्त खसरे में भूमि आवंटित की गई है। चार्टेड अकाउटेन्ट द्वारा राशि जमा की गई है तथा दैनिक नवज्योति को लीजडीड जारी की गई।	वर्तमान में नया ले-आउट प्लान बनाया जाकर चार्टेड अकाउटेन्ट व दैनिक नवज्योति तथा न्यायालय निर्णय वाले व्यक्तियों के लिये नया ले–आउट प्लान बनाया जाना प्रस्तावित है तथा राजस्थान आवासन मण्डल से पुनः भूमि लिया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श के दौरान आयुक्त महोदय ने अवगत कराया कि राजस्थान आवासन मण्डल उनके स्वामित्व के ले–आऊट प्लान की कम हुई भूमि का प्राधिकरण डी.एल.सी. दर पर मूल्य अदा कर देगी जिससे ले–आऊट प्लान में सभी संस्थाओं एवं आवंटियों के आवंटन यथावत् रह सके। उप आवासन आयुक्त ने मुख्यालय से चर्चा कर अवगत कराने का निवेदन किया जिस पर सहमति व्यक्त की गई। यदि 15 दिवस में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भूमि हस्तान्तरण की सहमति नहीं दी जाती है तो प्रस्तावित संशोधित योजना का ले आऊट समिति से अनुमोदन करा योजना में अग्रिम कार्यवाही की जावे।

6. मीणा विकास संस्थान को छात्रावास, सामुदायिक भवन एवं श्मशान हेतु भूमि आवंटन

क्र. सं.	क्षेत्रफल	भूमि का विवरण	जमा राशि का विवरण	आपत्ति	विशेष विवरण
1	–	ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 677	–	–	नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प–3(615) नविवि/3/09 दिनांक 04.01.10 के अनुसार प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन कर राज्य सरकार को प्रकरण को प्रस्तावित किया जाना है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवंटन शाखा में लम्बित विभिन्न समाजों के आवंटन के आवेदन–पत्रों का समग्र विवरण संकलित कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें जिससे सभी पर समग्र रूप से विचार किया जा सके।

7. मसूरिया क्षेत्र रावणा राजपूत समाज को प्याऊ हेतु भूमि आवंटन

क्र. सं.	क्षेत्रफल	भूमि का विवरण	जमा राशि का विवरण	आपत्ति	विशेष विवरण
1	1044.44 व.ग.	भूखण्ड संख्या 73 पाल रोड़ पर कब्जा होने से 1044.44 व.ग. भूमि का आवंटन पत्रावली में कॉक्स कुटीर क्षेत्र में स्थित बताया गया है।	10 प्रतिशत राशि जमा 627000/– प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।	–	मूल पत्रावली माथुर आयोग को भेजी गई है। आवंटित भूमि की शेष राशि जमा नहीं करने से निरस्त करने का नोटिस दिनांक 12.11.08 को दिया गया। आवंटन निरस्त किया जाना है या पुनः राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है। निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवंटन शाखा मे लम्बित विभिन्न समाजों के आवंटन के आवेदन–पत्रों का समग्र विवरण संकलित कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें जिससे सभी पर विचार किया जा सके।

8. श्री बाड़ा प्रजापति समाज ट्रस्ट को भूमि आवंटन

क्र. सं.	क्षेत्रफल	भूमि का विवरण	जमा राशि का विवरण	आपत्ति	विशेष विवरण
1	1936 व.ग	रामराज नगर ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 650/827	10 प्रतिशत राशि जमा 226512/–	राज्य सरकार को रियायती दर पर आवंटन हेतु पत्र दिनांक 03.11.08 द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया था प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। मास्टर प्लान में ग्रीन बैल्ट में आवंटन है।	प्रकरण में आवंटन निरस्त किया जाना है या पुनः राज्य सरकार को प्रेषित किया है। निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवंटन शाखा में लम्बित विभिन्न समाजों के आवंटन के आवेदन–पत्रों का समग्र विवरण संकलित कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें जिससे सभी पर विचार किया जा सके।

9. कौम चौबदारान विकास समिति के सामुहिक भवन हेतु भूमि आवंटन

क्र सं	क्षेत्रफल	भूमि का विवरण	जमा राशि का विवरण	पत्रावली का विवरण	विशेष विवरण
1	–	समाज के लिये 400 रहवासीय भूखण्ड आवंटन की मांग की है।	–	ग्रुप हाउसिंग के लिए नगरीय भूमि सुधार (नगरीय क्षेत्र में भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 18 बी के अन्तर्गत राज्य सरकार पूर्व अनुमति से आवंटन किया जा सकता है।	प्रकरण में भूमि चिन्हित कर जाति विशेष के लिये ग्रुप हाउसिंग के लिये प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवंटन शाखा में लम्बित विभिन्न समाजों के आवंटन के आवेदन–पत्रो का समग्र विवरण संकलित कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें जिससे सभी पर विचार किया जा सके।

10. मेघवाल समाज के महिला छात्रावास हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन।

क्र. सं.	क्षेत्रफल	भूमि का विवरण	जमा राशि	आपत्ति	विशेष विवरण

(71)

			का विवरण		
1	5 बीघा अर्थात् 8093.5 व. मी.	ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 677 में	राशि जमा	न्यास द्वारा दिनांक 04.09.06 को 25 प्रतिशत आरक्षित दर पर 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। मंत्री मण्डलीय उप समिति द्वारा 10 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय दिनांक 29.11.07 को लिया गया। मूल पत्रावली माथुर आयोग में भेजी गई है। आवासीय दर मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर की लगाई गई है। भू-उपयोग आवासीय है। आवंटित भूमि वायुसेना व राडार के पास है।	प्रकरण में निर्णय लिया जाना है कि लीजडीड जारी की जाये या नहीं या आवासीय आरक्षित दर की पुनः गणना के लिये निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवंटन शाखा में लम्बित विभिन्न समाजों के आवंटन के आवेदन-पत्रों का समग्र विवरण संकलित कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें जिससे सभी पर विचार किया जा सके।

11. समस्त सरगरा नवयुवक न्याति समाज को भूमि आवंटन

क्र. सं.	क्षेत्रफल	भूमि का विवरण	जमा राशि का विवरण	पत्रावली का विवरण	विशेष विवरण
1	5 बीघा अर्थात् 8093.5 व. मी.	ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 677 में	-	संस्था द्वारा रूपये 1,22,000/- जमा करवा दिये गये है।	राज्य सरकार को दिनांक 05.02.08 को प्रेषित किया गया। राशि आदिनांक तक जमा नहीं कराई गई है। अतः आवंटन निरस्त किया जाये या पुनः राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवंटन शाखा में लम्बित विभिन्न समाजों के आवंटन के आवेदन-पत्रों का समग्र विवरण संकलित कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें जिससे सभी पर विचार किया जा सके।

12. अग्निकाण्ड से प्रभावित जटिया बस्ती भदवासिया को भूमि आवंटन

क्रं. सं.	क्षेत्रफल	भूमि का विवरण	जमा राशि का विवरण	पत्रावली का विवरण	विशेष विवरण
1	—	---	—	राज्य सरकार के पत्र दिनांक 23.12.02 द्वारा आग में प्रभावित व अन्य जटिया समाज के व्यक्तियों 500 व.मी. भूमि का आवंटन निम्न शर्तो पर किया जाये चमड़ा रंगने वालों के पुर्नवास के लिये विशेष व्यवसायिक योजना 1. इस योजना के लिये गैर आवासीय क्षेत्र में उपयुक्त स्थान चिन्हित किया जाये। 2. सर्वप्रथम भदवासिया में चमड़ा रंगने का काम करने वाले व्यवसाईयों का सर्वे कराया जाए। 3. तत्पश्चात इन्हें अधिकतम 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्ड इस योजना में आरक्षित दर की 25 प्रतिशत दर से आवंटित किये जा सकेगें, परन्तु इसमें यह शर्त रहेगी कि वे एक निश्चित तिथि तक भदवासियां में अपना व्यवसाय बंद कर देगें। न्यास के प्रस्ताव सं. 5 दिनांक 23.05.02 द्वारा अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों को आरक्षित दर की 5 प्रतिशत पर व शेष व्यवसाय करने	जटियया बस्ती में दिनांक 21.02.02 आग लगने से कही लोग प्रभावित हुय। मु.म. कार्यालय से बार–2 स्मरण पत्र प्राप्त हो रहे है। पालड़ी खिचियान के राजकीय खाते में दर्ज ख. नं. 93 रकबा 2134.03 मे से भूमि आवंटन का निर्णय लिया जाना हैं मास्टर प्लान में परिधि नियंत्रण पट्टी में है। अतः भू–उपयोग परिवर्तन करके आवंटन का निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

				वाले व्यक्तियों को आरक्षित दर के 20 प्रतिशत पर 500 व. मी. से भूखण्ड का आवंटन किया जाये।	

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से भदवासिया क्षैत्र में अग्नि पीडित एवं चमडे की रंगाई में संलिप्त व्यक्तियों में व्यवसाय व निवास हेतु ग्राम पालडी खिचियान में भूमि का चिन्हिकरण किया जाकर राज्य सरकार की स्वीकृति के अध्यधीन योजनाबद्ध तरीके से शिफ्ट करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

इस विषय में जटिया समाज के लोगों से भी भूमि चिन्हिकरण एवं वर्तमान आवासीय स्थल छोडने व वर्तमान स्थितियों के संबध में चर्चा कर ली जावे। जटिया समाज के साथ ही कबाडियों को भूमि आवंटन का प्रकरण भी है, उस पर भी कार्यवाही की जावे एवं विस्तृत विवरण के साथ आगामी बैठक में अवगत कराया जावे।

13— देवासी समाज के सार्वजनिक न्याति नोहरा हेतु भूमि आवंटनः—

क्रं. सं.	क्षेत्रफल	भूमि का विवरण	जमा राशि का विवरण	पत्रावली का विवरण	विशेष विवरण
1	खसरा संख्या 130 में 5 बीघा भूमि	ग्राम लूणावास चारणा तहसील लूणी		पत्रावली जिला कलक्टर महोदय के पत्र संख्या 5667 दिनांक 15—10—2009 द्वारा प्राप्त हुआ। पूर्व में जिला कलक्टर कार्यालय की पत्रावली में भूमि आवंटन हेतु राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जेडीए के गठन के कारण पत्रावली इस कार्यालय को प्रेषित की गई।	राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प. 3 (615) नविवि/3/09 दिनांक 4 जनवरी, 2010 के अनुसार प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया जाकर राज्य सरकार को प्रस्तावित करने के संबंध में निर्णय लिया जाना है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवंटन शाखा में लम्बित विभिन्न समाजों के आवंटन के आवेदन—पत्रों का समग्र विवरण संकलित कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें जिससे सभी पर विचार किया जा सके।

14— आवंटन से शेष रहे प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को भूखण्ड आवंटनः—

प्राधिकरण में आवंटन से शेष बचे अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर प्राधिकरण योजना में आवासीय भूखण्ड आरक्षित दर पर लेने हेतु मांग की है। अतः पूर्व में भूखण्ड आवंटन से शेष बचे अधिकारियों/कर्मचारियों को भूखण्ड आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्रकरण वास्ते निर्णय हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से विस्तृत विवरण का एजेण्डा नोट आयुक्त महोदय के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का हेतु निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

15– आई.आई.टी. संस्थान के लिए भूमि आवंटनः–

जोधपुर शहर के समीप अवस्थित राजस्व ग्राम घडाव, झीपासनी व कडवड में आई. आई.टी. हेतु निम्नानुसार राजकीय भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया जाता हैः–

क्र.सं.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म
1.	कडवड	589	25-07	गौचर
2.	झींपासनी	223	17-00	बी–1
3.	घडाव	17/2	107-00	बी–4
4.	घडाव	5/1	0-05	बी–1
5.	घडाव	2/1	0-05	बी–1
6.	घडाव	41	63-06	गोचर
7.	घडाव	35	45-00	गोचर
8.	घडाव	59	13-15	गोचर
9.	घडाव	154	98-05	गोचर
10.	घडाव	162/1	3-00	ओरण
11.	घडाव	40	2-04	रास्ता
12.	घडाव	43	6-02	रास्ता
13.	घडाव	144	3-13	रास्ता
14.	घडाव	155/1	0-13	रास्ता
15.	घडाव	18	0-01	प्याऊ
16.	घडाव	17/4	30-01	गै.मु. गौचर
	कुल योग	16	415-17	

ग्राम कडवड तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 417 रकबा 79–16 बीघा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आई.आई.टी. प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण के आदेश जारी किये गये थे। जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर के पत्र कमांक राजस्व (अवाप्ति) /विनिमय/ 10/ 1475–77 दिनांक 18 मार्च, 2010 द्वारा राजस्व विभाग की स्वीकृति दिनांक 3 मार्च, 2010 द्वारा खसरा संख्या 417 रकबा 79–16 बीघा भूमि के एवज में खसरा संख्या 723/593 की 68–05 बीघा भूमि का विनिमय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 31 (3) प्रदान की गयी। इस हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही बाबत प्राधिकरण के पत्रांक 4371–71 दिनांक 29 मार्च, 2010 द्वारा तहसीलदार, जोधपुर को पूर्व में पत्र लिखा गया है।

16– सोलर पी.वी. पॉवर प्रोजेक्ट हेतु आवंटित भूमि

क्र सं	विवरण	आवंटी का नाम	भूमि गय खसरा नम्बर	दर	राज्य सरकार के आदेश/परिपत्र
1	मैसर्स स्वीस पार्क सोलर पावर लिमिटेड 5 एम. डब्ल्यू. सोलर फोटोवोल्टिक ग्रिड कनेक्टेड पावर प्रोजेक्ट हेतु भूमि आवंटन (फाईल नम्बर 1826)	मैसर्स स्वीस पार्क वाणिज्यिक प्राईवेट लिमिटेड	ग्राम तिंवरी के खसरा नम्बर 545 व 546 मे से 25 हैक्टेयर भूमि आवंटन पत्र 3168–72 दि. 25.02.10	डी.एल.सी. दर की 10 प्रतिशत राशि पर	प–3(619)नविवि /3/09 दिनांक 05.02.10

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अध्यक्ष महोदय द्वारा किये गये आवंटन का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: राजस्थान आवासन मण्डल को राजीव गांधी नगर योजना में कमजोर आय वर्ग हेतु भूखण्ड आवंटन का अनुमोदन

राज्य सरकार की नीति के अनुरूप आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु ग्रुप हाउसिंग के बहुमंजिले आवास जोधपुर विकास प्राधिकरण की राजीव गांधी नगर योजना में 500 भूखण्ड़ो के पश्चात् निर्माण किये जाने हेतु आवासन मण्डल की बैठक दिनांक 04.03.10 को आयोजित की जानी थी। इस हेतु समयाभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर निर्णय लिया जाकर राजस्थान आवासन मण्डल को 500 भूखण्ड़ों के आवंटन पत्र जारी किये जाने अत्यावश्यक थे। प्राधिकरण द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल को 500 विकसित भूखण्ड़ निम्न शर्तो पर आवंटन करने की सहमत है, का पत्र संख्या 3655 दिनांक 19.03.10 को लिखा गया है –

1– आवासन मण्डल द्वारा आवंटित भूखण्ड़ों की आरक्षित दर से देय राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण को अदा करनी होगी। योजना में आरक्षित दर 1700/– प्रति वर्ग मीटर है। प्रत्येक भूखण्ड़ 45 वर्ग मीटर है। गणना किये जाने पर समस्त भूखण्ड़ों के देय राशि 1700 X 500 X 45 = 3,82,50,000/– बनती है। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को उक्त भूखण्ड़ों के लिए नियमानुसार राशि देय है। आरक्षित दर 1700/– कुल प्लॉट 500 वर्ग गज प्लॉट एरिया 45 वर्ग मीटर = 3,82,50,000/– है।

2– आवासन मण्डल को दिये जाने वाले भूखण्ड़ों का सबडिविजन/एककीकरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3– उक्त भूखण्ड़ों का आवंटन राज्य सरकार की नीति अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों के लिए ही किया जायेगा।

4– आवंटन की राशि जमा होने के पश्चात ही आवंटन पत्र जारी किया जायेगा।

अतः प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि राजस्थान आवासन मण्डल से राजीव गांधी नगर योजना में कमजोर आय वर्ग के आवास निर्माण हेतु आवंटित भूमि की आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि ही वसूल की जावे।

प्रस्ताव संख्या 15 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण के वर्ष 2009–2010 के आय व्यय की पुष्टि एवं वर्ष 2010–11 के बजट प्रस्तावों पर चर्चा

वर्ष 2009–10 में संशोधित प्राप्तियां 21620.00 लाख एवं व्यय 21470.00 लाख निर्धारित किया गया था। माह मार्च, 2010 तक वास्तविक प्राप्तियां 17427.53 लाख रूपये हुई व वास्तविक व्यय 16220.71 लाख हुआ।

अनुमानित बजट 2009–10 में ऋण चौखा एवं विवेक विहार योजना के लिए रूपये 17000.00 लाख प्रस्तावित था जिसके विरूद्ध 2,000.00 लाख की ओवरड्राफ्ट लिमिट प्राप्त की गई है। इस वर्ष में 15,000.00 लाख रूपये के ऋण बजट अनुमानों के अनुसार प्राप्त नहीं किये गये।

वर्ष 2009–10 में भूमि विक्रय से 27400.00 लाख प्राप्तियां अनुमानित की गई थी जिसमें विवेक विहार योजना के लिए रूपये 5000.00 लाख एवं विकास पट्टी के लिए 2,000.00 लाख एवं बडली योजना के लिए 4,000.00 लाख रूपये के फार्म हाऊस योजना के लिए 2,000.00 लाख रूपये के अनुमानित किये गये थे। उक्त योजनाएं वर्ष 2009–10 में कियान्वित नहीं हो सकी। इससे इन चारों योजनाओं में रूपये 13,000.00 लाख की अनुमानित प्राप्तियों के विरूद्ध केवल बड़ली योजना में रूपये 1,000.00 लाख प्राप्त हुए हैं एवं इन योजनाओं से शेष 12,000.00 लाख की प्राप्तियों के विरूद्ध योजनाओं की कियान्वित नहीं हो सकने के कारण प्राप्तियां नहीं हो सकी। वर्ष 2009–2010 में भूमि विक्रय से वास्तविक प्राप्तियां 2853.67 लाख रही है, राजीव गांधी नगर योजना की प्राप्तियां वर्ष 2010–11 में 8000.00 लाख प्रस्तावित है।

नगरीय कर में 1000.00 लाख के विरूद्ध माह मार्च, 2010 तक कुल प्राप्तियां 677.61 लाख हुई है एवं भूमि नियमन से 5000.00 लाख के विरूद्ध रूपये 798.77 लाख हुई है।

हस्तान्तरण शुल्क में रूपये 870.00 लाख के विरूद्ध माह मार्च, 2010 तक 169.23 लाख प्राप्तियां हुई है।

इस प्रकार माह मार्च, 2010 तक कुल प्राप्तियां 17427.53 लाख रूपये हुई है एवं भुगतान 16220.71 लाख रूपये किया गया है।

वर्ष 2010 – 2011 में प्राप्तियां 34031.00 लाख व व्यय 34031.00 लाख प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2009–2010 के वास्तविक आय व व्यय एवं 2010–2011 के प्राप्तियां एवं व्यय अनुमान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्ररताव संख्या 16 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण में चार्टड एकाउण्टेन्ट की नियुक्ति के बिन्दु पर चर्चा

जोधपुर विकास प्राधिकरण में लाभ – हानि खाता, बैलेंश सीट, सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक रिर्टन भरने, त्रैमासिक टी.डी.एस. रिर्टन प्रस्तुत करने आद की दृष्टि से लेखा कार्यों का सम्पादन किये जाने हेतु चार्टड अकाउण्टेन्ट की नियुक्त की जानी है। पूर्व में न्यास के समय से ही उक्त कार्य सम्पादित नहीं किया जा रहा है जिससे आयकर विभाग को कर, शास्ति आदि चुकानी पड़ रही है। प्राधिकरण का लेखा कार्य व्यवस्थित होने पर वार्षिक बजट बनाने में भी सुविधा रहेगी।

प्राधिकरण द्वारा फिलहाल अन्तरिम रूप से श्री अमित कोठारी को आयकर विभाग में अपील आदि की दृष्टि से संयोजित किया हुआ है। श्री अमित कोठारी/पैनल में से जोधपुर विकास प्राधिकरण का चार्टड अकाउण्टेन्ट नियुक्त किया जाना है, श्री कोठारी ने इस हेतु निम्नानुसार फीस की मांग की है:–

77

क्र.स.	विवरण	राशि रूपये
1–	वार्षिक लेखा बनाये जाने एवं उनका अंकेक्षण करना	75,000.00
2–	आय एवं व्यय की बैलेंस शीट तैयार करना	25,000.00
3–	त्रैमासिक टी.डी.एस. रिर्टन प्रस्तुत करना (प्रति त्रैमासिक रिर्टन रूपये 11,000/–)	44,000.00
4–	मासिक रिर्टन प्रस्तुत करना	50,000.00
	कुल राशि	1,94,000.00

अतः प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के यह तथ्य सामने आया कि तत्कालीन न्यास द्वारा आयकर संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। न्यास द्वारा वर्ष 2002–2003 से ही न आयकर रिर्टन दाखिल किये गये है न ही चार्टर्ड एकाउन्टेट से ऑडिट ही करवायी गयी है जो करवायी जानी आवश्यक थी। न्यास के समय न बैलेंस सीट तैयार नहीं की गयी।

आयकर अधिनियम अनुसार लेखों की चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा आडिट आवश्यक है। अतः प्राधिकरण की बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समाचार–पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर इच्छुक चार्टर्ड एकाउन्टेंट से आवेदन मांगे जाकर उनका पैनल तैयार कर चार्टर्ड एकाउन्टेंट नियुक्त किया जावे व आयकर रिर्टन दाखिल किये जावे। पूर्व वर्षों हेतु की गई अपीलों हेतु श्री कोठारी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 17 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय, बरकतुल्लाह खां स्टेडियम एवं अन्य स्थानों पर पडे नकारा सामान/वाहनों के संबंध में चर्चा

प्राधिकरण कार्यालय एवं बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में बड़ी मात्रा में नकारा सामान पड़ा है जिसका सूचीकरण जी.एफ.एण्ड आर. के निर्देशों के अनुसार संभव नहीं है। जहां है, जैसा है के आधार पर नीलामी किये जाने पर निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नकारा सामान/वाहनों की सूची बनायी जाकर अनुमानित मूल्य निर्धारित करते हुए सार्वजनिक विज्ञप्ति के माध्यम से नीलामी की कार्यवाही नियमानुसार की जावे।

प्रस्ताव संख्या 18 :: नागरिक सुविधा केन्द्र के निर्माण हेतु मौजूदा संरचना को ध्वस्त करने के बिन्दु पर चर्चा

नागरिक सुविधा केन्द्र हेतु वर्तमान संरचना ध्वस्त करने का प्रस्ताव पूर्व में कार्यकारी समिति द्वारा लिया गया था। प्राधिकरण परिसर में नागरिक सुविधा केन्द्र का निर्माण (प्रथम चरण) हेतु रू. 50.00 लाख की स्वीकृति एवम् निविदा जारी की जा चुकी है। निविदा दिनांक 15 से 16 अप्रैल 2010 तक बेची जाकर दिनांक 19.04.10 को प्राप्त की जायेगीं। अध्यक्ष महदेय ने निर्णय का अनुमोदन करते हुए निर्देशित किया कि उनकी आर्कीटेक्ट से परामर्श कर भवन निर्माण व्यवहारिक एवं बिल्डिंग बाईलॉज के अनुसार किया जावे।

एजेण्डा आईटम संख्या 19 :: अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम पर चर्चा

प्राधिकरण क्षेत्र में सुन्दर सिह भण्डारी नगर के पास अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम प्रस्तावित है। खसरा नं. 289 बासनी मालीयान मे सुन्दरसिह भण्डारी नगर योजना बनने के बाद भी काफी भूमि रिक्त है। इस भूमि में से 77000 वर्ग मीटर स्थान अफोरडेबल हाउसिंग स्कीम के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें G+2 आवासों का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है। इसमे 2000 भवनो का निर्माण पीपीपी पद्धति पर किया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अफोर्डेबल हाऊसिंग योजना के कम में बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 289 जो सुन्दरसिंह भण्डारी नगर योजना के पास है तथा मौके पर रिक्त है उसमें 77000 वर्ग मीटर भूमि अफोर्डेबल हाऊसिग योजना के मॉडल संख्या 4 में पी.पी.पी पद्धति पर प्राधिकरण ने राजस्थान आवासन मण्डल को प्रथम निमंत्रण दिया जावे यदि आगामी 15 दिवसों में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करता है तो पी पी पी पद्धति पर इसका खुली निविदा जारी करके किसी डवलपर्स को प्राधिकरण द्वारा दिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 :: मिल्कमैन कॉलोनी पाल रोड के विभिन्न भूखण्डों के संबंध में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा

तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा वर्ष 1958 में मसूरिया मिल्कमैन कॉलोनी में कुल 312 भूखण्डों का आवंटन किया गया था। यह आवटंन शहर में विभिन्न स्थानों पर रह रहे मवेशी पालकों को शहर के आंतरिक भागो से जन सुविधा की द्वष्टि से स्थानान्तरित करने हेतु कॉलोनी स्थापित की गयी थी।

वर्तमान में उक्त भूखण्डधारियों द्वारा नियमन /लीज डीड की मांग की जा रही है। जिसके संबंध में निम्न समस्याएं है–

1. बिना लाइसेंस/आवंटन पत्र के मात्र जमा राशि की रसीद व पत्रावली पर सचिव यू.आई.टी. द्वारा आवंटन की नोट शीट के आधार पर आवासीय/वाणिज्य लीज डीड जारी करना।
2. मूल आंवटन द्वारा अपंजीकृत दस्तावेंजों के आधार पर किए गए हस्तातंरण को मान्यता प्रदान कर हस्तांतरिती के नाम लीज डीड जारी करना।
3. सेट बेक कवरेज व अनियमित निर्माण को नियमित करना।
4. सेलडीड पट्टा/लीज डीड जारी करने के संबंध में निर्णय।

इस संबंध में उक्त समस्याओं समाधान हेतु निम्न प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है–

1. तत्कालीन न्यास द्वारा किये गये आवंटियों को लीजडीड जारी करना।
2. न्यास प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 19.07.1996 अथवा प्राधिकरण के अनुमोदित कम्पाउडिंग नियमों के आधार पर सेटबैक नियमित करना।
3. न्यास प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 19.07.1996 अथवा वर्तमान भू–उपयोग परिवर्तन नियमों के आधार पर भू–उपयोग परिवर्तन नियमित करना।

प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण की स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट, सर्वे, मौका स्थिति आदि का प्रकरणवार विस्तृत विवरण एवं विकल्प आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 :: प्राधिकरण में पदस्थापित तहसीलदारों को शक्तियां प्रत्यायोजन आदेश का अनुमोदन।

प्राधिकरण में लीज मुक्ति प्रमाण–पत्र, ऋण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र, बैचान अनुमति एवं प्रतिलिपि जारी करने की शक्तियां का प्रत्यायोजन अध्यक्ष, प्राधिकरण के अनुमोदन पश्चात् कार्यालय आदेश कमांक एफ. 21/स्था./2010/7990 दिनांक 11 जनवरी, 2010 द्वारा जोन के संबंधित तहसीलदारगण को प्रदत्त की गयी है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से तहसीलदारगण को प्रदत्त शक्तियां वापस लेने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 :: ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 6 के बकाया पट्टा जारी करने के संबंध में चर्चा

ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 6 के बकाया पट्टे जारी करने के सबध में आवेदन–पत्र नियमित रूप से प्राप्त हो रहे हैं। पूर्व में दिनांक 18 जुलाई, 2007 को उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा ले–आऊट समिति के निर्णय अनुसार ले–आऊट प्लान पारित किया है। वर्तमान में भूमि का मास्टर प्लान में भू–उपयोग आवासीय दर्शाया गया है। दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 को पूर्व में स्वीकृत ले–आऊट प्लान को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं क्योंकि उक्त खसरे में मौके पर भवनों का निर्माण नहीं हुआ था। उक्त खसरे में पूर्व में स्वीकृत ले–आऊट प्लान के अनुसार 70–80 पट्टे जारी कर दिये गये थे। उक्त खसरा दिनांक 17–6–1999 से पूर्व मूल खातेदार द्वारा कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी का नक्शा बनाकर तद्नुसार कृषि भूखण्डों का बैचान अलग अलग व्यक्तियों को कर दिया। इन अलग अलग व्यक्तियों में से आवेदन करने पर पूर्व में नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा ले–आऊट प्लान समिति द्वारा ले–आऊट पारित किया गया था। वर्तमान में 10 – 15 व्यक्ति पूर्व ले–आऊट प्लान के आधार पर लीज डीड जारी करने की मांग कर रहे हैं। अतः निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है कि पूर्व में ले–आऊट प्लान के आधार पर अन्य व्यक्ति को लीज डीड जारी की जावे या पूर्व में जारी समस्त पट्टों को निरस्त करते हुए नया ले–आऊट प्लान स्वीकृत कर पट्टे जारी किये जावे।

प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर दोषी कर्मचारियों एवं सबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध फोजदारी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा नियमानुसार ले–आऊट प्लान संशोधित करने की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 23 :: महाराणा प्रताप कॉलोनी सूरसागर बाईपास जोधपुर में श्री घमण्डाराम को वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन पर चर्चा

श्री घमण्डाराम गाडिया लौहार पुत्र श्री देवाराम को महाराणा प्रताप कॉलोनी योजना मे निःशुल्क भूखण्ड बी–173 आवंटन दिनांक 28 मार्च, 1990 को हुआ था। श्री घमण्डाराम द्वारा भूखण्ड़ की लीज राशि 50/– रूपये भी दिनांक 28 मार्च, 1990 को जमा करवा दी थी। प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की मांग की जाती रही है। कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार पूरे सेक्टर में कच्ची बस्ती बसी हुई है। प्रार्थी को वैकल्पिक भूखण्ड़ समीपस्थ रामराजनगर/राजीव गांधी नगर में आवंटन के संबंध में पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

(80)

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण की पुनः जांच कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: **विभिन्न योजनाओं में एक वर्ष से अधिक की समयावधि में आवंटियों द्वारा राशि जमा नहीं कराये जाने के बिन्दु पर चर्चा**

1– श्री रामप्रसाद मीणा को आवंटित भूखण्ड़ संख्या 162 (25X50) की शेष राशि जमा नहीं करवाने पर अपना पक्ष रखने का नोटिस जारी किया जिसकी निर्धारित तिथि 27.02.09 थी। उक्त दिनांक को आवंटी उपस्थित नहीं होने पर भूखण्ड़ निरस्त करने का पत्र जारी किया गया।

प्रकरण में एक वर्ष से अधिक दो वर्ष के भीतर की अवधि हो गयी है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से भूखण्ड बहाल कर नियमानुसार राशि जमा कराने का निर्णय लिया गया।

2– मनमोहन शर्मा पुत्र नंदलाल शर्मा ए–40 मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर

पत्रावली अनुसार प्रार्थी को लॉटरी द्वारा दिनांक 04.03.99 को भूखण्ड़ संख्या 40 सेक्टर ए मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में आवंटन किया गया था तथा आवंटन पत्र क्रमांक 1351 दिनांक 18.03.99 को जारी किया गया था जो कि सी–7 पर संलग्न अनुसार 40′ गुणा 60′ = 223 व0 मी0 460/– प्रति वर्ग मीटर से रूपये 102580/– पूर्व में जमा 10000/– बाद देकर रूपये 92580/– जमा कराने हेतु जारी किया गया था।

भूखण्ड़ की बकाया राशि निर्धारित समय में जमा नहीं होने पर जब आवंटन स्वतः निरस्त हो जाता है तो ऐसे निरस्त होने की तिथी से एक वर्ष की अवधि में न्यास के अध्यक्ष एवं एक वर्ष बाद पुनः एक वर्ष की अवधि में न्यास द्वारा बकाया राशि मय ब्याज एवं शास्ती के जमा कराई जा सकती है।

दो वर्ष पश्चात् नियमन करने का अधिकार राज्य सरकार का है। उक्त बकाया राशि, ब्याज व शास्ती लेकर राज्य सरकार नियमन कर सकती है।

अतः प्रकरण राज्य सरकार को नियमन हेतु भिजवाने वास्ते प्राधिकरण की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

10 वर्ष बाद भी राशि जमा नहीं कराने से बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से भूखण्ड नियमित नहीं करने का निर्णय लिया गया।

3– एक वर्ष से अधिक दो वर्ष के भीतर प्रकरणों की सूची

रामराज नगर योजना

क्र. सं.	नाम	भूखण्ड़ संख्या	आवंटन पत्रांक एवं दिनांक	राशि जमा का विवरण	विशेष विवरण
1	गोपाल कृष्ण चौधरी	2/256	3358/01.08.08	–	प्रार्थना पत्र दि. 03.10.08
2	शिवरतन सोनी	1/156	3259/01.08.08	–	प्रार्थना पत्र दि.

					07.01.09
3	मोहम्मद सलीम	1/97	3332/01.08.08 प्राप्ति दिनांक 25.08.08	—	प्रार्थना पत्र दि. 08.12.09
4	विनोद कुमार शर्मा	1/95	3503/07.08.08 प्राप्ति दिनांक 13.08.08	—	प्रार्थना पत्र दि. 07.01.09

दतोपन्त ठेगड़ी नगर योजना

क्र. सं.	नाम	भूखण्ड संख्या	आवंटन पत्रांक एवं दिनांक	राशि जमा का विवरण	विशेष विवरण
5	दीपाराम	3/55	4230/26.08.08	—	प्रार्थना पत्र दि. 31.3.09
6	राजुराम	3/91	4456/28.08.08	—	प्रार्थना पत्र दि. 28.4.09
7	गौतम कुमार	620	4199/25.08.08	—	प्रार्थना पत्र दि. 25.2.09
8	जयसिंह राठौड़	2/192	3489/07.08.08	—	प्रार्थना पत्र दि. 31.7.09
9	जब्बर सिंह (डुप्लीकेट पत्रावली)	244	4223/06.10.08	—	प्रार्थना पत्र दि. 24.03.2009

उपरोक्त प्रकरणों में प्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। अब राशि जमा करवाने का निवेदन किया है एक वर्ष से अधिक एवं दो वर्ष के भीतर है जिसका प्राधिकरण बैठक में वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।क्रम संख्या 9 में डुप्लीकेट पत्रावली हेतु प्राधिकरण की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण द्वारा जनहित में निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में ऐसे समस्त आवंटी जिन्होंने आवंटन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि तक किसी कारणवंश राशि जमा नहीं करायी हैं, वे सभी आवंटी दिनांक 30 मई, 2010 तक नियमानुसार शास्ती व ब्याज का भुगतान कर राशि जमा करा सकते है तथा अपने आवंटित भूखण्ड के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कम संख्या 9 में अकित श्री जब्बरसिंह की डुप्लीकेट पत्रावली संधारित करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 25 :: श्री आनन्द किशन सिंहल भूखण्ड संख्या 112 सेक्टर डी, सरस्वती नगर को भूखण्ड आवंटन पर चर्चा

श्री आनन्द किशन सिंहल को भूखण्ड संख्या 5 सुभाषनगर योजना में लॉटरी द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर, 1983 को आवंटित हुआ था। उक्त भूखण्ड मौके पर उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी को इसी योजना में भूखण्ड संख्या 77 आवंटित किया गया। भूखण्ड संख्या 77 के बारे में न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण प्रार्थी को कब्जा नहीं दिया जा सका व प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। न्यास की बैठक दिनांक 17 सितम्बर, 2003 के प्रस्ताव संख्या 31 व दिनांक 14 जुलाई, 2007 के प्रस्ताव संख्या 9 में निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को सरस्वती नगर योजना के भूखण्ड संख्या 112 सेक्टर

डी का आवंटन किया जावे। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में उक्त प्रकरण में भूखण्ड आवंटन की सहमति दी गई। उक्त प्रकरण वर्ष 1983 में आवंटन से संबंधित हैं। अतः निर्णय लिया जाकर समान क्षैत्रफल का समतुल्य भूखण्ड दिया जाने संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह अवगत कराया गया कि इस तरह के 17 अन्य प्रकरण है। बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस तरह के 17 अन्य प्रकरणों का भी विवरण व आंवटन की प्रगति आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या :: 26 **श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नाथू को भूखण्ड संख्या सी–459 सरस्वती नगर योजना के संबंध में चर्चा।**

भूखण्ड संख्या 459 सेक्टर सी सरस्वती योजना जोधपुर का दिनांक 19 फरवरी, 2009 को जरिये नीलामी 65.96 वर्ग मीटर का श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नाथूलाल को स्वीकृत किया गया। प्रार्थी द्वारा संपूर्ण राशि भी जमा करवा दी थी परन्तु जब प्रार्थी ने जोधपुर विकास प्राधिकरण से लीज डीड निष्पादित करने को कहा तो तब उप नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार सरस्वती नगर के स्वीकृत योजना मानचित्र में उक्त भूखण्ड को पार्क दर्शाया गया है। अतः इस संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली के अध्ययन पश्चात् पाया गया कि नीलामी में मूल स्वीकृत ले–आऊट प्लान में दर्शाये भूखण्ड के अतिरिक्त अन्य भूखण्ड भी आवंटन/नीलामी से ही आवंटित किये गये हैं। बैठक के सभी सदस्यों को यह बात न्यायसंगत भी नहीं लगी कि पहले तो खुली नीलामी में जोधपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड प्रार्थी को स्वीकृत करें तथा संपूर्ण राशि जमा होने पर पश्चात्वर्ती आपत्ति लगाए। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया प्रार्थी को लीज डीड जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या :: 27 **विभिन्न आवासीय योजनाओं में रियायती दर एवं नीलामी द्वारा आवंटित भूखण्डों पर निर्माण की अवधि बढाये जाने के आदेश का अनुमोदन।**

नगरीय भूमि (निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17 (6) के तहत निर्धारित प्रकिया करते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षैत्र में विभिन्न योजनाओं में आवंटित भूखण्डों पर निर्माण की अवधि दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक बढाये जाने के संबंध में निम्नानुसार आदेश जरिये कार्यालय आदेश कमांक एफ.21/स्था./2010/8220 दिनांक 27 जनवरी, 2010 द्वारा प्रसारित किये है:-

1- राजस्थान नगर सुधार न्यास (भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 17 के अन्तर्गत रियायती दर पर आवंटित भूखण्डों के भवन निर्माण की समयावधि दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक उपरोक्त नियमों के नियम 17 (6) के अनुसार निर्धारित दर से पुर्नग्रहण शुल्क लिया जाकर बढा दी जावे। भवन निर्माण निर्धारित अवधि आवंटन के समय निर्धारित शर्तों/तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार रहेगी।

2– नीलामी द्वारा आवंटित भूखण्डों के निर्माण की समयावधि नियम 14 (ए) के अनुसार निर्धारित समय तक निर्धारित दर से पुर्नग्रहण शुल्क लिया जाकर बढ़ा दी जावे। भवन निर्माण की निर्धारित अवधि नीलामी के समय, नीलामी की शर्तों के अनुसार होगी।

3– संस्थानिग योजनाओं में आवंटित भूखण्डों की भवन निर्माण की समयावधि निर्धारित समय पश्चात् नहीं बढायी जावे ऐसे प्रकरण संबंधित पत्रावली पर सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जावे।

(83)

4— उक्त नियमों के दायरे में सहकारी समिति/निजी खातेदारी की आवासीय योजनाओं के भूखण्ड़ भी शामिल होंगे। उनकी निर्माण के लिए निर्धारित अवधि योजनाओं में लीज डीड/पट्टा जारी होने की तिथि से प्रारम्भ होगी। चूंकि उक्त दोनों प्रकार के भूखण्डों के संदर्भ में नियमन की चार गुणा राशि को आरक्षित दर माना गया है। अतः प्रकरणों में पुर्नग्रहण शुल्क की गणना के लिए नियमन दर की चार गुणा राशि को ही आरक्षित दर माना जायेगा।

अतः जारी उपरोक्त आदेश की पुष्टि हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या :: 28 विविध व्यक्तिगत प्रकरणों के निरतारण पर चर्चा

1— तत्कालीन नगर विकास न्यास की दतोपन्त ठेगड़ी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत आवेदकों की लॉटरी दिनांक 25.07.08 को निकाली गई। लॉटरी में पति—पत्नी द्वारा अलग—अलग साईज में आवेदन करने पर दोनों को अलग—अलग साईज के भूखण्डों का आवंटन हुआ एवं आवंटन पत्र भी जारी किए गए हैं तथा राशि भी जमा करवा दी गई है। आवेदन पत्र के साथ दोनों के आय प्रमाण—पत्र में आय गलत अंकित की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

दतोपन्त ठेगड़ी नगर योजना

क्र. सं.	नाम	भूखण्ड संख्या	आवंटन पत्रांक एवं दिनांक	राशि जमा का विवरण	विशेष विवरण
1	अशोक कुमार खाखरिया आय वर्ग 6001—12000 30ग64	131	3631/12.08.08	0044746 26.09.08	आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत आय प्रमाण—पत्र रूपये 11,948/— है। श्रीमान जिला कलक्टर के पत्रांक 18239 दिनांक 25.09.08 द्वारा प्राप्त पत्र के आधार पर वेतन वितरण अधिकारी से आय प्रमाण पत्र मगवाने पर आय 12,391/— बताई गई है।
2	पुष्पलता पत्नी अशोक कुमार खाखरिया आय वर्ग 6001—12000 25ग49	2ध28	4066/22.08.08	0045366 10.10.08	

चूंकि उक्त आवंटियों ने दोनों भूखण्डों की राशि जमा करवा दी है परन्तु आवेदकों द्वारा जिस वर्ग के लिये आवेदन किया है उसके अनुसार आय अधिक है। आवेदन के साथ आय प्रमाण- पत्र गलत प्रस्तुत किया है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि दोनों में से एक का आवंटन यथावत् रखा जावे तथा दूसरा आवंटन निरस्त किया जावे। वर्तमान आय वर्ग में नियत दर से राशि ली जावे एवं उससे उच्च आय वर्ग की राशि से शास्ति लगायी जावे।

2— तत्कालीन नगर विकास न्यास की सुन्दरसिंह भण्डारी योजना की लॉटरी प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.07.2009 को निकाली गई—

क्र. सं.	नाम	भूखण्ड सं.	आय वर्ग	विवरण
1	भीमगिरी गोस्वामी सैनिक वर्ग	26 39X69	12000/- to 20000/- प्रतिमाह	आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र रूपये 37,800/— प्र.माह का पेश किया है। इस कारण आवंटन पत्र जारी होना शेष है।
2	नाथुसिंह भाटी राज्य कर्मचारी वर्ग	10 39X69	12000/- to 20000/- प्रतिमाह	आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र रू 22,345/- आवटन पत्र जारी नहीं हुआ परन्तु राशि 3,36,658/— रसीद नं. 9001/7168 दिनांक 18.09.09 पत्रावली में सलग्न है।

क्रम संख्या 1 में आय प्रमाण पत्र मे आय अधिक होने के कारण पत्रावली लम्बित है। क्रम संख्या 2 में प्रार्थी को आवंटन पत्र जारी नही हुआ परन्तु राशि जमा करवा दी गई है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

बाद विचाद विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि योजना में 20000 से अधिक आय हेतु कोई आय वर्ग ही नियत नहीं था। अतः दोनों के आवटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

3— दतोपन्त ठेगड़ी नगर योजना

(85)

क्र. सं.	नाम	आवेदन पत्र संख्या	कारण	विशेष विवरण
1	सूरजभान मीणा पुत्र अमरसिंह	2121-ST (39X89)	कम्प्यूटर त्रुटि से एसटी वर्ग से सामान्य वर्ग की सूची में अंकित होने से आवंटन नहीं हुआ है, पर निर्णय हेतु बैठक में प्रस्तुत है।	उक्त योजना में एसटी वर्ग हेतु 5 भूखण्ड आरक्षित थे जिसमें लॉटरी में 3 आवेदक थे तीनों को भूखण्ड आवंटित हुये है लॉटरी सूची संलग्न।
2	राजेश कुमार पुत्र गंगाराम	2069-ST (39X69)	कम्प्यूटर त्रुटि से एसटी वर्ग से सामान्य वर्ग की सूची में अंकित होने से आवंटन नहीं हुआ है, पर निर्णय हेतु बैठक में प्रस्तुत है।	उक्त योजना में एसटी वर्ग हेतु 5 भूखण्ड आरक्षित थे जिसमें लॉटरी में 3 आवेदक थे तीनों को भूखण्ड आवंटित हुये है लॉटरी सूची संलग्न।

उक्त योजना में कम्प्यूटर त्रुटि के कारण गलत वर्ग में अंकित होने से भूखण्ड़ों का आवटन नहीं होने से पत्रावली आज दिनांक तक लम्बित है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समाचार–पत्र में सार्वजनिक विज्ञप्ति निकाली जावे एवं अनुसूचित जन जाति के अवशेष आवेदनों की भी जानकारी ली जाकर यदि कोई आवेदक अनुसूचित जन जाति वर्ग में न हो तो आवंटन की कार्यवाही की जावे। कम्प्यूटर संबंधी विविध त्रुटियों हेतु कम्प्यूटर फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जावे।

4– श्री प्रेमसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह को आवंटित भूखण्ड़ निरस्त करने बाबत।

श्री प्रेमसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह द्वारा विजयाराजे नगर योजना में आवेदन पत्र 43394 के साथ रूपये 15000/– जमा कराये थे तथा भूखण्ड़ साईज 40 गुणा 70 वर्ग राज्य कर्मचारी श्रेणी में आवेदन किया था। विजयाराजे नगर योजना की लॉटरी दिनांक 19.06.2007 को लॉटरी में आवेदक को आवंटन नहीं हुआ। रिफण्ड आदेश दिनांक 29.06.07 को प्रार्थी को उसके द्वारा जमा राशि का रिफण्ड किया जा चुका है।

विजयाराजे नगर योजना की दूसरी बार लॉटरी दिनांक 01.03.08 को निकाली गई उसमें प्रार्थी को रूपये 8000/– भूखण्ड़ साईज 25 गुणा 50 का भूखण्ड सख्या 167 का आवंटन हो गया है। उक्त आवंटन कम्प्यूटर की लिस्ट फिडिंग की गलती से हुआ है जबकि उक्त भूखण्ड आय वर्ग अनुसार नहीं हुआ है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जब राशि ही रिफण्ड कर दी गयी तो आवंटन नहीं किया जाना था। आवंटन निरस्त किया जावे।

(86)

5— श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री प्यारेलाल को वैकल्पिक भूखण्ड़ आवंटन प्रस्ताव।

न्यास द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 1979 को निकाली गई लॉटरी के अनुसार भूखण्ड़ संख्या 273 सेक्टर सी सरस्वती नगर योजना श्री भोमाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल को आवंटन किया गया था। इसी प्रकार न्यास द्वारा दिनांक 23 अक्टुबर, 1983 को निकाली गई लॉटरी के अनुसार यही भूखण्ड़ संख्या 273 सेक्टर सी सरस्वती नगर श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री प्यारेलाल को आवंटन किया गया। इस प्रकार भूखण्ड़ संख्या 273 सेक्टर सी सरस्वती नगर दो व्यक्तियों को आवंटित हो गया।

आवंटन समिति की बैठक दिनांक 03 जून, 1989 के प्रस्ताव संख्या 3(11) द्वारा निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 273 सेक्टर सी सरस्वती नगर प्रथम आवंटी श्री भोमाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल को यथावत रखा जावें तथा द्वितीय आवंटी श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री प्यारेलाल को अन्य भूखण्ड़ आवंटन कर दिया जावें। न्यास द्वारा दिनांक 12 मई, 1995 को पुनः प्रकरण आवंटन समिति में रखने का निर्णय हुआ। अतः श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री प्यारेलाल को समान आकार एवं कीमत का वैकल्पिक भूखण्ड़ आवंटित करने हेतु प्रकरण विचरार्थ प्रस्तुत किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श प्रकरण विशेष प्रकृति का होने से राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 29 :: **श्रीमती सरोज कपुर पत्नि श्री भारत भूषण खसरा सख्या 156/1, 156/2 ग्राम मोगडा कलां के भवन मानचित्र का अनुमोदन।**

श्रीमती सरोज कपुर पत्नि श्री भारत भूषण ने माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट संख्या 9482/2009 में अपवाद स्वरूप नगरीय विकास विभाग के निर्देश पर भवन मानचित्र स्वीकृति जारी की गयी थी। जो प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्न अनुसार निर्णय लिया गया:—

1— प्रस्तुत ले-आऊट प्लान का अनुमोदन कतिपय शर्तों के अधीन किया जावे।

2— स्कीम विकय योग्य क्षैत्रफल 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3— परिधि नियंत्रण पट्टी में एग्रोबेस इण्डस्ट्रीज अनुज्ञेय होने से भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हैं।

4— भूखण्डों का निर्मित क्षैत्रफल 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5— सब डिविजन व बाह्य विकास शुल्क नियमानुसार देय होगा।

6— आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार पट्टे समर्पित किये जावेंगे।

7— न्यायालय में प्रस्तुत भवन मानचित्र स्वीकृति का अनुमोदन किया जाता है।

(87)

प्रस्ताव संख्या 30 :: व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का आरक्षण रखने के संबंध में।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 9 अप्रैल, 2010 को हुई बैठक में प्रस्तावित की गई कार्यवाही "राजस्थान आवासन मडल व जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी में छोटे व्यवसायिक भूखण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आरक्षण किया जाता है। इसी अनुरूप जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी भूखण्डों का आरक्षण किया जाये" का अनुमोदन किया जाता है।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(ताराचन्द मीणा)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

कमांक/बैठक/2010/1801/188-229 दिनांक 24 अप्रैल, 2010

प्रतिलिपि:-

1- प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
2- निजी सहायक (अध्यक्ष महोदय) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3- जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, जोधपुर
4- महापौर महोदया, नगर निगम, जोधपुर
5- जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
6- जिला पुलिस अधीक्षक (शहर) महोदय, जोधपुर
7- आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8- शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
9- उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड, जोधपुर
10- अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
11- अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
12- मुख्य प्रबन्धक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
13- वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
14- ----------

(ताराचन्द मीणा)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(88)

परिशिष्ट–1

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 13 अप्रैल, 2010 में उपस्थित सदस्यों / अन्य अधिकारियों का विवरण

सदस्यगण:–

1. श्री नवीन महाजन, संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष
2. श्री रामेश्वर दाधीच, महापौर, नगर निगम, जोधपुर
3. श्रीमती दुर्गा बलाई, जिला प्रमुख, जोधपुर
4. श्री गौरव गोयल, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5. श्री पी.के. पुरोहित, संभागीय मुख्य अभियन्ता प्रतिनिधि मुख्य प्रबन्धक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
6. श्री पी.पी. माथुर, अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
7. श्री अजय गुप्ता, अति. मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
8. श्री वी.के. शर्मा, उपायुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
9. श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जोधपुर
10. श्री ताराचन्द मीना, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

अन्य अधिकारी:–

1. श्री जी.एल. शर्मा, निदेशक–अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. श्री आर.एल. टुकलिया, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. श्री अमिताभ योगानन्दी, निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. श्री नरेन्द्र कुमार दवे, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5. श्री वासुदेव मालावत, उपायुक्त दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6. श्री सुरेश नवल, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. श्री ओ.पी. विश्नोई, उपायुक्त उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. श्री मगनलाल योगी, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री मनीष अग्रवाल, अति. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री राजीव जुगतावत, उप वन संरक्षक (वन्य जीव), जोधपुर
11. श्री अनिल माथुर, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री अरूण मेहता, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री डी.आर. गौड, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री विरदाराम चौधरी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अति. निदेशक, खनन विभाग, जोधपुर

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर